कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या /अधिष्ठान/दो–29/2024–25 दिनांक २४ अगस्त, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में की गयी व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या–198739/XXX(2)/E–33080 दिनांक 14.03.2024 एवं शासनादेश संख्या–229265/XXX(2)/2024/E–33080दिनांक 31.07.2024 के आलोक में परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2024 को सम्पन्न हुई।

2. उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत **'वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी'** संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों/तथ्यों का संज्ञान लिया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में कुल कार्यरत 06 कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 03 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत स्थानान्तरण हेतु कोई कार्मिक पात्र नहीं है। सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी कार्मिक आगणित न होने के कारण संवर्ग में शत–प्रतिशत अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने हैं। इस प्रकार सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 03 कार्मिकों का स्थानान्तरण अनुमन्य है।

3. स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उसके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एवं पदोन्नतियॉ करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 05.07.2024 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।

4. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निर्मित पात्रता सूची के क्रमांक–1 पर अंकित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7(घ)(तीन) में विहित व्यवस्थानुसार गम्भीर रोग की श्रेणी में होने एवं क्रमांक–2 पर अंकित कार्मिक दिव्यांग श्रेणी में होने के कारण स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुए समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 01 कार्मिक का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति की गई।

5. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत **'वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी'** संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित पद/कार्यालय के सापेक्ष किया जाता हैः–

(क) सुगम से दुगम :

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	विजयपाल सिंह रावत	3	15 वर्ष 03 माह 20 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	प्रथम विकल्प आवंटित।

4. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवीन तैनाती के स्थल/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्याः (1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कोटद्वार/टिहरी।
4. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (पौड़ी/देहरादून)।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार/टिहरी।
6. सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
7. सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।